भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4472
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2014/17 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>संबंधित पक्षकार के लेन-देन का प्रावधान</u>

4472. श्री थोटा नरसिम्हम :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पक्षकार के लेन-देन संबंधी कड़े प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या नए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रवर्तन से पूर्व किए गए करारों को पुराने अधिनियम की धारा 297 का पालन करते हैं, को नए अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उपर्युक्त स्पष्टीकरण में विलय-समापन समामेलन और इस प्रकार के अन्य व्यवस्थापनों को शामिल नहीं किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) नए कंपनी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ड.) : सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत संबंधित पक्षकार लेन-देन से जुड़े मामलों पर 17 जुलाई, 2014 को एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में अन्य के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के दूसरे परंतुक में उल्लिखित पद 'संबंधित पक्षकार' से आशय केवल ऐसे संबंधित पक्षकारों से है जो करार या व्यवस्थापन जिनके लिए संबंधित विशेष संकल्प पारित किया जा रहा है के संदर्भ में संबंधित पक्षकार हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के लागू होने से पहले, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 के अनुपालन के बाद कंपनियों द्वारा किए गए करारों को, उनकी मूल

अवधि की समाप्ति होने तक बाद वाले अधिनियम के तहत नए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के विशिष्ट प्रावधानों के तहत समझौतों, व्यवस्थापनों और समामेलनों के परिणामस्वरुप किए जाने वाले लेन-देनों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

*****